राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 5(ट–29)कोष/2013–14/2054/609 – 648 दिनांकः– 9/4/2014

1. समस्त कोषाधिकारी
   राजस्थान।
2. भुगतान एवं लेखाधिकारी,
   बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़,
   नई दिल्ली।

विषयः– माँग संख्या 25 के अन्तर्गत बजट शीर्ष "2054–097–(01) खजाना स्थापना (आयोजना भिन्न)" में वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न विस्तृत मदों में बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग के पत्र संख्या प.4(1)वित्त–1(1)/आ.व्यय/2014 दिनांक 26 मार्च 2014 के अनुसार वर्ष 2014–15 हेतु माह अप्रैल से जुलाई 2014 के लिए लेखानुदान की मांगों तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) (संख्या 2) विधेयक 2014 को पारित कर दिया गया है तथा तत्संबंधी अधिनियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित हो गया है। संलग्न परिशिष्ठ में अंकित सीमा तक निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 में नियमानुसार बजट का उपयोग कर सकते है।

1. बजट शीर्ष "2054–097–(01) खजाना स्थापना (आयोजना भिन्न)" के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न उपमदों में बजट आवंटन संलग्न परिशिष्ठानुसार किया जाता हैं। राज्य सरकार एवं इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटित बजट का उपयोग किया जावें।
2. यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय एवं कार्यालय व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जावें। मार्च 2014 तक के **यात्रा भत्ता तथा चिकित्सा बिलों के समस्त लंबित प्रकरणों का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जावें एवं इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित किया जावें। चिकित्सा व्यय मद के अन्तर्गत आवंटित बजट में विशेष प्रकरणों सहित नियमानुसार व्यय किया जावें।**
3. प्रत्येक माह का मासिक व्यय मानचित्र, उपमदवार अलग–अलग तैयार कर इस विभाग को मासिक लेखो के साथ यथा–समय भिजवाया जावें। व्यय मानचित्र आई.एफ.एम.एस. व राजकोष से मिलान कर ही प्रेषित किया जावें।
4. आंवटित बजट का उपयोग आनुपातिक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें ताकि व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रह सकें।

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.raj.nic.in
e-mail Id- Idb-ta-ri@nic.in

5. अंक मिलान के समय पाया गया है कि वाउचर्स पर संबंधित व्यय मद की मोहर पूर्णत एवं स्पष्ट अंकित नही की जाती है जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय में सही मद में व्यय बुक नहीं हो पाता। अतः यह सुनिश्चित किया जावें कि जिस मद में राशि आहरित की जाय, बिल पर उसी उपमद की मोहर स्पष्टतः अंकित की जावें।
6. बजट उपमद "41 संविदा सेवा" के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति के अनुसार व्यय किया जावें।
7. कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समस्त उपमदों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर ऑनलाईन आवंटित राशि के अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नही किया जावें। अधिक व्यय करने की स्थिति में संबंधित कोषाधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।
8. **मैन विद मशीन, कम्प्यूटर स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जूमेबल, की–बोर्ड/बैट्री एवं कम्प्यूटर रखरखाव पर होने वाले व्ययों का का भुगतान उपमद 62 कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी रखरखाव मद से नियमानुसार किया जावें।**
9. **कार्यालय व्यय में आवंटित राशि से पानी, बिजली एवं टेलिफोन के बिलों का भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता से करें।**
10. **अपने अधीनस्थ कार्यालयों को किए जाने वाला बजट आवंटन एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन किया जावें।**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 5(ट–29)कोष/2013–14/2054/649–650 दिनांकः–9/4/2014

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. उप निदेशक (आई.टी.) कार्यालय हाजा को डी.टी.ए. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कोष एवं बजट)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.raj.nic.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in

परिशिष्ट

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज. जयपुर

बजट मद 2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन 097–खजाना स्थापना (आयोजना भिन्न) वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत आवंटन (राशि लाखों में) (4/14 से 8/14 तक)

क्र. सं	कोषालय	01 संवेतन	03 यात्रा व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	41 संविदा व्यय	62 कम्प्यूटराईजेशन	कुल योग
		आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	अजमेर	11700.00	80.00	100.00	400.00	60.00	400.000	12740.000
2	अलवर	14000.00	90.00	50.00	640.00	150.00	300.000	15230.000
3	बांसवाड़ा	4850.00	50.00	20.00	240.00	170.000	300.000	5630.000
4	बांरा	5550.00	60.00	20.00	300.00	130.00	300.000	6360.000
5	बाडमेर	4850.00	60.00	20.00	150.00	20.00	300.000	5400.000
6	ब्यावर	4250.00	30.00	10.00	150.00	15.00	300.000	4755.000
7	भरतपुर	10900.00	70.00	50.00	300.00	55.00	400.000	11775.000
8	भीलवाड़ा	9900.00	60.00	70.00	400.00	140.00	300.000	10870.000
9	बीकानेर	11700.00	100.00	30.00	600.00	200.00	400.000	13030.000
10	बून्दी	5078.00	60.00	30.00	200.00	80.00	300.000	5748.000
11	चित्तौड़गढ़	7890.00	60.00	50.00	400.00	45.00	300.000	8745.000
12	चूरू	6775.00	50.00	40.00	400.00	200.000	300.000	7765.000
13	दौसा	5910.00	40.00	20.00	250.00	60.00	300.000	6580.000
14	धौलपुर	4330.00	50.00	20.00	300.00	55.00	300.000	5055.000
15	डूंगरपुर	3770.00	30.00	5.00	200.00	110.00	300.000	4415.000
16	गंगानगर	9500.00	90.00	30.00	300.00	160.00	400.000	10480.000
17	हनुमानगढ़	6570.00	70.00	10.00	300.00	10.000	300.000	7260.000
18	जयपुर शहर	10760.00	0.00	100.00	250.00	20.00	300.000	11430.000
19	जयपुर ग्रामीण	12900.00	200.00	100.00	500.00	175.000	400.000	14275.000
20	जयपुर सचिवालय	5500.00	0.00	70.00	100.00	40.00	300.000	6010.000
21	जयपुर पेंशन	5400.00	0.00	30.00	200.00	25.00	300.000	5955.000
22	जैलसमेर	3250.00	40.00	10.00	300.00	75.00	300.000	3975.000
23	जालौर	4730.00	50.00	30.00	300.00	25.00	300.000	5435.000
24	झालावाड़	5580.00	50.00	20.00	300.00	25.00	300.000	6275.000
25	झुन्झुनू	8140.00	70.00	50.00	300.00	90.00	300.000	8950.000
26	जोधपुर शहर	4900.00	20.00	50.00	200.00	0.00	300.000	5470.000
27	जोधपुर ग्रामीण	8425.00	70.00	30.00	400.00	120.00	400.000	9445.000
28	कोटा	10320.00	70.00	100.00	400.00	50.00	300.000	11240.000
29	करौली	5260.00	40.00	30.00	200.00	80.00	400.000	6010.000
30	नागौर	8700.00	70.00	50.00	400.00	190.00	300.000	9710.000
31	पाली	8240.00	70.00	25.00	400.00	200.00	300.000	9235.000
32	प्रतापगढ़	3000.00	70.00	15.00	150.00	25.00	300.000	3560.000
33	राजसमन्द	4810.00	60.00	30.00	400.00	200.00	300.000	5800.000
34	सवाई माधोपुर	6820.00	60.00	70.00	300.00	90.00	300.000	7640.000
35	सीकर	8320.00	70.00	40.00	400.00	150.00	300.000	9280.000
36	सिरोही	4250.00	70.00	40.00	300.00	90.00	300.000	5050.000
37	टोंक	6800.00	70.00	50.00	400.00	120.00	300.000	7740.000
38	उदयपुर	6480.00	30.00	60.00	300.00	40.00	300.000	7210.000
39	उदयपुर (ग्रा.)	2094.00	50.00	70.00	200.00	40.00	400.000	2854.000
40	PAO New Delhi	710.00	10.00	0.00	40.00	30.00	300.000	1090.000
	योग	**272912.00**	**2290.00**	**1645.00**	**12270.00**	**3560.0000**	**12800.000**	**578389.000**

संयुक्त निदेशक (कोष एवं बजट)